

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
जिला स्वास्थ्य समिति,  
जनपद-सन्त रविदास नगर

पत्रांक— SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A/ ५१०८

दिनांक-13 / 09 / 2019

विषय:- दिनांक 27 से 30 अगस्त 2019 तक एनोएचोएमो के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये मुख्य बिन्दुओं पर समयबद्ध अपेक्षित सुधार/कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयांक के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 27 से 30 अगस्त 2019 के मध्य राज्य स्तर से जनपदीय नामित अधिकारियों द्वारा एनोएचोएमो के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु जनपद सन्त रविदास नगर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तदसम्बन्ध में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित बिन्दुओं पर मानकों के अनुरूप सुधार हेतु जिला स्वास्थ्य समिति सन्त रविदास नगर की मासिक समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारी/चिकित्सक/नोडल/ब्लाक प्रभारी/जनपद स्तरीय समन्वयक एवं प्रबन्धकों को समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। तदुपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त रविदास नगर द्वारा 02 सप्ताह में संलग्न भ्रमण आख्या की "अनुपालन आख्या" एसोपी०एम०य०, राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जानी है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय,

  
(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक

पत्रांक— SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A

तददिनांक

प्रतिलिपि – कार्यक्रम हित में सूचनार्थ एवं समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, मण्डल मिर्जापुर।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०।
4. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

5. वित्त नियंत्रक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल मिर्जापुर।
7. समस्त महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक, अधिशासी अभियंता, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त रविदास नगर इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करवाकर भ्रमण आव्या की सूचना एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, जनपद सन्त रविदास नगर।
10. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप-मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त रविदास नगर अपने आवंटित कार्यक्रमों की गुणवत्ता हेतु उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
11. मण्डलीय कार्यक्रम / लेखा प्रबन्धक, मण्डल मिर्जापुर।
12. मण्डलीय सलाहकार, क्यू०ए० / कम्युनिटी / एम०एण्डई० / एन०यू०एच०एम० मण्डल मिर्जापुर।
13. जिला कार्यक्रम / लेखा प्रबन्धक, डी०पी०एम०यू०, सन्त रविदास नगर।
14. हेल्थ पार्टनर मण्डल मिर्जापुर एवं जनपद सन्त रविदास नगर।
15. जनपद स्तरीय डी०ई०आई०सी / क्यू०ए० / एन०यू०एच०एम० / एन०सी०डी० इकाई, सन्त रविदास नगर।

(पंकज कुमार)  
भिशन निदेशक

## भ्रमण आख्या जनपद— सन्त रविदास नगर

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या SPMU/NHM/ M&E/2019-20/18/3883-2 दिनांक 30-07-2019 में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 27-30 अगस्त 2019 को भ्रमण दल द्वारा जनपद सन्त रविदास नगर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः—

1. अभय द्विवेदी, तक0 परामर्शदाता, एन0पी0सी0बी0एण्डवी0आई0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. अश्विनी कुमार, परामर्शदाता, एम0एच0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

महाराजा चेत सिंह संयुक्त चिकित्सालय, सन्त रविदास नगर (भ्रमण तिथि—27.08.2019)

अवलोकन बिन्दु	राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही	कृत कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> <li>केसशीट में पी0एन0सी0 के दौरान होने वाली जांचों (Vitals) का अंकन नहीं किया जा रहा है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>हॉस्पिटल मैनेजर क्यू0ए0, नर्स इन्चार्ज को केसशीट पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये एवं पी0एन0सी0 के दौरान होने वाली जांचों (Vitals) के अंकन की महत्ता बताई गयी।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम में 07 ट्रे उपलब्ध थी, परन्तु उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। डिलीवरी भार के सापेक्ष डिलीवरी ट्रे केवल एक ही थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>डिलीवरी लोड के सापेक्ष कम से कम 05 डिलीवरी ट्रे लेबर रूम में उपलब्ध रहें।</li> </ul>	लेबर रूम सम्बन्धित मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ
<ul style="list-style-type: none"> <li>वित्तीय वर्ष 2019–20 मानको के अनुसार प्रसव रजिस्टर उपलब्ध है, किन्तु पुराने प्रारूप वाले प्रसव रजिस्टर अंकन किया जा रहा है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वित्तीय वर्ष 2019–20 मानको के अनुसार उपलब्ध प्रसव रजिस्टर पर प्रसव सूचना अंकित करायी गयी।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>केसशीट डिस्चार्ज स्लिप नहीं भरी जा रही है तथा लाभार्थियों को डिस्चार्ज स्लिप नहीं दी जा रही है एवं स्टरलाइजेशन रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक प्रसव की केसशीट डिस्चार्ज स्लिप भरे जाने व प्रसूता को डिस्चार्ज स्लिप प्रदान किये जाने हेतु के साथ-साथ प्रत्येक दिन उपकरणों स्टरलाइजेशन की सूचना अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ए0एन0सी0 एवं एच0आर0पी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सी0एम0एस0 को सुझाव दिया गया कि ए0एन0सी0 क्लीनिक पर स्टाफ नर्स को पोस्ट करें, जिससे सभी गर्भवती महिलाओं का ए0एन0सी0 पंजीकरण किया जा सके तत्पश्चात चिकित्सक के पास परीक्षण के लिये संदर्भित किया जाये।</li> </ul>	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं हॉस्पिटल मैनेजर क्यू0ए0 द्वारा सम्बन्धित अपेक्षित सुधार किये जाने हैं।
<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम में डिजिटल घड़ी नहीं पायी गयी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेबर रूम में डिजिटल घड़ी को तत्काल लगवाया गया।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>अम्बू बैग लेबर रूम में नहीं पाया गया।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अम्बू बैग मंगवाकर लेबर रूम में व्यवस्थित किया गया।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>एन0आर0सी0 में संविदा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक पद रिक्त पाया गया।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सम्बन्धित पद पर Walking Interview के राज्य द्वारा निर्देशों की प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया को उपलब्ध करा नियमतः कार्य हित में भर्ती किये जाने के लिये अवगत कराया गया।</li> </ul>	मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया
<ul style="list-style-type: none"> <li>ब्लड बैंक के निरीक्षण में पाया गया कि ब्लड बैंक का लाइसेन्स की वैधता वर्ष 2017 में समाप्त हो चुकी है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ब्लड बैंक इन्चार्ज ने अवगत कराया कि लाइसेन्स के रिन्यूअल हेतु आवेदन किया जा चुका है।</li> </ul>	

✓

✓

- रोगी कल्याण समिति के कार्यवाही रजिस्टर 29/12/2017 की बैठक में चिकित्सालय की रंगाची पुताई हेतु रु0 3.47 लाख एवं इमेरजेंसी ब्लाक के सामने पोर्च का निर्माण, मेन गेट पर कैटल कैचर, ग्लोसाईन बोर्ड, परिसर में वाहन स्टैंड, दवा वितरण केन्द्र के काउन्टर का निर्माण हेतु रु0 4.09 लाख इस प्रकार कुल रु0 7.56 लाख का कार्य अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सन्त रविदास नगर द्वारा किया जाना था जिला संयुक्त चिकित्सालय द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक सम्पूर्ण कार्य नहीं किया गया है।

- उक्त विषय के क्रम में संयुक्त चिकित्सालय द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व ही ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सन्त रविदास नगर को एक मुश्त रु0 7.56 लाख का भुगतान रोगी कल्याण समिति से किया जा चुका है।

- रोगी कल्याण समिति का दो वर्षों से ऑडिट नहीं किया गया है एवं राज्य भ्रमण दल द्वारा जिला लेखा प्रबन्धक से जानकारी प्राप्त करने पर सूचना प्राप्त हुयी कि जिला चिकित्सा एवं समस्त ब्लाक इकाईयों का दो वर्षों से रोगी कल्याण समिति का ऑडिट नहीं किया गया है।

- संयुक्त चिकित्सालय के प्रांगण में भवन पर जीवन दीप हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के होर्डिंग लगी पायी गयी।

- सम्बन्धित विषय की समस्त जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी महोदया को प्रदान करते हुये अपेक्षा की गयी कि अग्रिम जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सम्बन्धित विषय की जानकारी जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, सन्त रविदास नगर के समक्ष प्रस्तुत की जाये जिससे कार्यक्रम हित में रोगी कल्याण समिति मद से दी गयी समस्त धनराशि के सापेक्ष कार्य सम्पादित किया जा सकें।

- जिला लेखा प्रबन्धक को एक माह के भीतर ब्लाक एवं जिला चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित कर राज्य द्वारा निर्धारित ऑडिट शुल्क सीमा के भीतर समस्त चिकित्सा इकाईयों का ऑडिट कराने का निर्देश दिये गये।

मुख्य चिकित्साधिकारी  
महोदया एवं मुख्य  
चिकित्सा अधीक्षक  
महोदय।

जिला लेखा प्रबन्धक।

- तत्काल जीवन दीप हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के होर्डिंग हटवायी गयी एवं अवगत कराया गया कि चिकित्सालय प्रांगण व कक्ष में किसी भी बाहरी संस्था का प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा  
अधीक्षक एवं  
हॉस्पिटल मैनेजर  
क्यू0ए0 द्वारा  
सम्बन्धित अपेक्षित  
सुधार किये जाने हैं।

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यावां

- केसशीट में पी0एन0सी0 के दौरान होने वाली जांचों (Vitals) का अंकन नहीं किया जा रहा है।

- अधीक्षक, बी0पी0एम0 एवं नर्स इन्वार्ज को केसशीट पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये एवं पी0एन0सी0 के दौरान होने वाली जांचों (Vitals) के अंकन की महत्ता बताई गयी।

लेबर रूम सम्बन्धित  
मेडिकल एवं पैरा  
मेडिकल स्टाफ

- ए0एन0सी0 एवं एच0आर0पी0 रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।

- बी0सी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0 एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को एच0आर0पी0 प्रसूता चिह्नीकरण के समस्त कारकों पर क्षमतावर्धन किया गया जिससे प्रत्येक वर्ग की एच0आर0पी0 को ससमय चिह्नित कर पोर्टल पर अंकित किया जा सकें।

बी0सी0पी0एम0 /  
डी0सी0पी0एम0 द्वारा अपेक्षा की गयी कि समस्त ब्लाक के बी0सी0पी0एम0 का एच0आर0पी0 पर अभिमुखीकरण किया जायेगा।



- शहरीय स्वास्थ्य मिशन में पूर्व में चयनित आशाओं के चयन पर न्यायालय निर्णय एवं चयन प्रक्रिया की समस्त पत्राचार जिलाधिकारी द्वारा अपने समक्ष मांगे जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित नोडल, एन0यू0एच0एम0 द्वारा पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा रही है।

जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करे जिससे शहरीय आशा चयन की समस्या समाप्त की जा सके।

### ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, चकदुखरान, आंगनवाड़ी कन्द्र, उपकन्द्र बदलीपुर, (भ्रमण तिथि-28.08.2019)

- वी0एच0एन0डी0 सत्र पर माइकोप्लान उपलब्ध नहीं था।
- प्रसूता की ए0एन0सी0 जांच हेतु पृथक एकान्त स्थल नहीं था।
- वी0एच0एन0डी0 सत्र में मधुमेय जांच, यूरिन की जांच, अतिकुपोषित बच्चों के चिन्हीकरण के लिये कुपोषण मीटर नहीं था।
- वी0एच0एन0डी0 सत्र में लाल व काली पॉलिथीन में वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं थी।
- वी0एच0एण्ड0डी0 सत्र ई0सी0पी0 उपलब्ध नहीं था।
- लाभार्थी की डयू लिस्ट के 16 लाभार्थियों के सापेक्ष मात्र 08 ही टीकाकरण के लिये आये थे।
- एच0आर0पी0 की लाइन लिस्टिंग ए0एन0एम0 के पास उपलब्ध नहीं थी।

- वी0एच0एन0डी0 सत्र का आयोजन माइकोप्लान के अनुसार करने तथा सत्र स्थल पर समस्त संसाधन इत्यादि की उपलब्धता हेतु ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया।
- ए0एन0एम0 के पास एच0आर0पी0 एवं एन0एन0सी0 की लाइनलिस्टिंग की उपलब्धता अनिवार्य है।
- अन्य बिन्दुओं की अनउपलब्धता के लिये सत्र पर उपस्थित हेल्थ सुपरवाइजर को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सत्र में सम्बन्धित जांचों के लिये उपकरण व लॉजिस्टिक आदि व्यवस्था शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी।

अधीक्षक चिकित्साधिकारी /  
बी0पी0एम0 / डी0पी0एम0  
/आर0आई0ओ0

### एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0, सन्त रविदास नगर (भ्रमण तिथि-29.08.2019)

- एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 पर स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा निश्चेतक उपलब्ध हैं, परन्तु उनके द्वारा प्रतिमाह मानकानुसार निर्धारित 05 सिजेरियन से कम मात्र 01 से 02 सिजेरियन प्रसव कराये जा रहे हैं।
- चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कराये जा रहे सिजेरियन प्रसवों मासिक प्रगति सूचना अंकित नहीं की जा रही है एवं सिजेरियन प्रसवों मासिक प्रगति सूचना जिला संयुक्त चिकित्सालय, सन्त रविदास नगर में किया जा रहा है।
- इकाई पर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं हैं।
- इकाई पर एच0आई0वी0 किट, आयरन की उपलब्धता नहीं है एवं सिफलिस की जांच हेतु व्यवस्था नहीं है।
- स्वास्थ्य इकाई पर आयुष की दवायें उपलब्ध नहीं थीं।

- अधीक्षक को सिजेरियन प्रसव को बढ़ाने हेतु सम्बन्धित महिला चिकित्सक अभिमुखीकरण करने के लिये अवगत कराया गया चूंकि सम्बन्धित महिला चिकित्सक सिजेरियन प्रसव होने पर ही उपस्थित होती है।
- इकाई पर मासिक रिपोर्ट में सिजेरियन प्रसव को अंकित कर रिपोर्ट अद्युनान्त करने के निर्देश दिये गये एवं सम्बन्धित मासिक रिपोर्ट के संदर्भ में डी0पी0एम0 को अवगत कराया गया।
- एस0पी0एम0यू0 प्रोक्योरमेट से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि राज्य द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन क्रय में 02 अल्ट्रासाउंड मशीन जनपद सन्त रविदास नगर के लिये भेजी जा रही है।

अधीक्षक चिकित्साधिकारी / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक / बी0सी0पी0एम0

जिला कार्यक्रम प्रबंधक

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मुख्य चिकित्साधिकारी महोदया को इकाई पर आयुष दवाओं की अनुपलब्धता के बारे में अवगत कराया गया।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य चिकित्साधिकारी महोदया</li> </ul>
--	---	---

### मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त रविदास नगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के मुख्य बिन्दु-

- राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण दल ने जनपद में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदया एवं सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी को भ्रमण में आये मुख्य बिन्दुओं से अवगत कराया गया।
- बैठक में ब्लाक के समस्त नर्स मेंटर प्रतिभागियों का अभिमुखीकरण किया गया जिससे लेबर रूम मानकों के अनुरूप व्यवस्थित कर क्रियाशील किये जा सकें। बैठक में मण्डल कार्यक्रम प्रबन्धक, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदीय नर्स मेंटर द्वारा जनपद के समस्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर निरीक्षण नहीं किया जाता है तदकम में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण दल द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनपदीय नर्स नेंटर द्वारा समस्त ब्लाक इकाईयों पर निरीक्षण किया जायेगा।
- जनपदीय सलाहकार, क्वालिटी को निर्देशित किया गया कि प्राथमिक प्रबन्धन क्यू0ए0 टूल द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय एवं ब्लाक इकाईयों में क्यू0ए0 मानकों को पूरा करने के लिये<sup>1</sup> इकाईवार कार्ययोजना बनाकर स्वास्थ्य इकाईयां क्यू0ए0 मानकों पर उच्चीकृत की जायें।
- जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक को निर्देश दिये गये कि आशा 6–7 मॉड्यूल प्रशिक्षण में ₹0 25.00 लाख की कमिटेड धनराशि के सापेक्ष प्रशिक्षण प्रारम्भ न किये जाने पर निर्देश दिये गये कि 14 दिन के भीतर आशा 6–7 मॉड्यूल प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी महोदया को अवगत कराया गया कि हेल्थ इन वेल्नेस सेंटर में ₹0 66.00 लाख की कमिटेड धनराशि के सापेक्ष व्यय संतोषजनक न होने पर अपेक्षा की गयी कि हेल्थ इन वेल्नेस सेंटर में कमिटेड धनराशि व्यय किये जाने हेतु नियमतः अग्रेतर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- एस0एन0सी0यू0 कमिटेड मद में ₹0 25.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने हेतु अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0एस0 को अवगत कराया गया कि कमिटेड धनराशि के सापेक्ष नियमतः व्यय कराना सुनिश्चित करें।
- ए0एन0सी0 तथा एच0आर0पी0 का एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा ब्लाकवार प्रगति पर समीक्षा की गयी एवं पोर्टल पर प्रति माह प्रगति रिपोर्ट अपलोड किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद एवं ब्लाक इकाईयों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में अनुबन्धित वाहनों की प्रतिमाह भरी गयी चेकलिस्ट की संकलित सूचना डी0पी0एम0 द्वारा 15 दिवस के भीतर राज्य मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।



( अश्विनी कुमार )  
सलाहकार, एम0एच0



( अभय द्विवेदी )  
तक0 सलाहकार, एन0पी0सी0बी0एण्डवीआई

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
जिला स्वास्थ्य समिति,  
जनपद-सन्त रविदास नगर

पत्रांक— SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A/

दिनांक— 13/09/2019

विषयः— दिनांक 27 से 30 अगस्त 2019 तक एनोएच०एम० के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये मुख्य बिन्दुओं पर समयबद्ध अपेक्षित सुधार/कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांक के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 27 से 30 अगस्त 2019 के मध्य राज्य स्तर से जनपदीय नामित अधिकारियों द्वारा एनोएच०एम० के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु जनपद सन्त रविदास नगर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तदसम्बन्ध में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित बिन्दुओं पर मानकों के अनुरूप सुधार हेतु जिला स्वास्थ्य समिति सन्त रविदास नगर की मासिक समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारी/चिकित्सक/नोडल/ब्लाक प्रभारी/जनपद स्तरीय समन्वयक एवं प्रबन्धकों को समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। तदउपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त रविदास नगर द्वारा 02 सप्ताह में संलग्न भ्रमण आख्या की "अनुपालन आख्या" एस०पी०एम०य०, राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जानी है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय,

(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक

पत्रांक— SPMU/NHM/Visit/2019-20/32A ५१४४-१५

तददिनांक

प्रतिलिपि — कार्यक्रम हित में सूचनार्थ एवं समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, मण्डल मिर्जापुर।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०।
4. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

5. वित्त नियंत्रक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल मिर्जापुर।
7. समस्त महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक, अधिशासी अभियंता, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त रविदास नगर इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करवाकर भ्रमण आख्या की सूचना एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, जनपद सन्त रविदास नगर।
10. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप-मुख्य चिकित्साधिकारी, सन्त रविदास नगर अपने आवंटित कार्यक्रमों की गुणवत्ता हेतु उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
11. मण्डलीय कार्यक्रम / लेखा प्रबन्धक, मण्डल मिर्जापुर।
12. मण्डलीय सलाहकार, क्यू०ए० / कम्युनिटी / एम०एण्डई० / एन०यू०एच०एम० मण्डल मिर्जापुर।
13. जिला कार्यक्रम / लेखा प्रबन्धक, डी०पी०एम०यू०, सन्त रविदास नगर।
14. हेल्थ पार्टनर मण्डल मिर्जापुर एवं जनपद सन्त रविदास नगर।
15. जनपद स्तरीय डी०ई०आई०सी / क्यू०ए० / एन०यू०एच०एम० / एन०सी०डी० इकाई, सन्त रविदास नगर।

(पृष्ठ कुमार)  
मिशन निदेशक